राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3128/2022

डॉ॰ श्रुति **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–।। विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, (जनस्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
4. अधीक्षक/प्रमुख चिकित्साधिकारी, राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय, ब्यावर, जिला अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.08.2022
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद पर राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय, ब्यावर अजमेर में कार्यरत रखा जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार प्रकार है कि अपीलार्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद पर राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय, ब्यावर अजमेर है। आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण चिकित्सा अधिकारी मानते हुए सीएचसी माण्डलगढ़ भीलवाड़ा किया गया है, जबकि अपीलार्थी आदेश दिनांक 21.09.2021 के द्वारा कनिष्ठ विशेषज्ञ गायनी के पद पर पदोन्नत हो चुकी है, फिर भी आलोच्य आदेश में चिकित्साधिकारी दर्शाते हुए निम्नतर पद पर स्थानांतरण किया गया है, जो राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 20 के उल्लंघन में जारी किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी एसबी सिविल रिट याचिका संख्या

508/2022 डॉ॰ लव कुन्दानी सिंह बनाम चिकित्सा विभाग एवं 9509/2022 डॉ कुश कुण्डाल बनाम चिकित्सा विभाग में कार्यरत आदेश दिनांक 06.07.2022 में ऐसे स्थानांतरण आदेशों को अनुचित माना है। अतः उक्त नियम एवं न्यायिक विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद पर राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय, ब्यावर अजमेर में कार्यरत रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर पूरजोर विरोध करते हुए बहस की है कि आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 सक्षम स्तर पर नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना एवं विधि–विरूद्धता नहीं है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी ने दिनांक 21.05.2013 को सीएचसी थोई में कार्यग्रहण किया और आलोच्य आदेश के द्वारा ब्यावर अजमेर से सीएचसी माण्डलगढ़, भीलवाड़ा स्थानांतरण किया गया है, जो नियमानुसार जारी किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनिक) के पद पर राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय, ब्यावर अजमेर है। आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को चिकित्साधिकारी (गायनिक) दर्शाते हुए सीएचसी माण्डलगढ़ स्थानांतरण किया गया है। जबकि अपीलार्थी को कनिष्ठ विशेषज्ञ गायनिक के पद पर दिनांक 01.04.2021 से आदेश दिनांक 21.09.2021 द्वारा माना गया है और वर्तमान में उक्त पद पर कार्यरत है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 में अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी दर्शाते हुए स्थानांतरण किया जाना राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–20 के उल्लंघन में प्रकट होता है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्यों में इस प्रकार के स्थानांतरणों को अयुक्तियुक्त माना है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग नए सिरे से नियमानुसार अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.09.2022 की पुष्टि कर प्रावकाश (Vacate) किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य